



राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान  
National Institute of Design  
मध्यप्रदेश Madhya Pradesh

(An Institute of National Importance under DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India)

क्रमांक-रा0डि0सं0म0प्र0/प्रशा/सूचना अनुभाग /1-70/2023/15-17

दिनांक 27.06.2023

प्रति,

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना बाबत।

प्रसंग:-आपका ऑनलाइन अनुरोध प्रार्थना पत्र क्रमांक एन.आइ.डी.एम पी./आर/ई/ 23/00015, एन.आइ.डी.एम पी./आर/ई/ 23/00016 एवं एन.आइ.डी.एम पी./आर/ई/ 23/00017 दिनांक 13.05.2023 तथा राष्ट्रीय डिज़ायन संस्थान, मध्य प्रदेश को प्राप्त दिनांक 13.05.2023.

महोदय,

1. उपरोक्त विषयान्तर्गत व प्रासंगिक पत्रों के क्रम में आपके द्वारा राष्ट्रीय डिज़ायन संस्थान मध्य प्रदेश से चाही गई सूचना के बिन्दू 01 तथा बिन्दू 02 के संबंध में संबंधित अनुभाग से प्राप्त सूचना अनुलग्नक 01 में संलग्न है तथा बिन्दू 03 के क्रम में अवगत कराया जाता है कि सीनियर फ़ैकल्टी का पे लेवल 12 है तथा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ़िसर नाम से कोई पद स्वीकृत नहीं है।
2. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(8) (iii) की अनुपालना के अनुसार प्रथम अपीलिय अधिकारी का नाम तथा पत्राचार पता क्रमशः श्री नीरज तहिलियानी, कार्यवाहक कुलसचिव, राष्ट्रीय डिज़ायन संस्थान मध्य प्रदेश ग्राम अचारपुरा, पोस्ट अरवलिया ईट खेड़ी जिला भोपाल, मध्यप्रदेश पिन 462038 है।



श्री कृष्ण


(श्री कृष्ण बिरमान)  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
राष्ट्रीय डिज़ायन संस्थान मध्य प्रदेश

प्रतिलिपी:-

01. सहायक लोक सूचना अधिकारी,  
राष्ट्रीय डिज़ायन संस्थान, मध्यप्रदेश

:- कृपया सादर सूचनार्थ ।

अनुसार

 राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान  
National Institute of Design  
मध्यप्रदेश Madhya Pradesh


Acharpura, Eint Khedi, Post - Arwaliya, Bhopal (Madhya Pradesh) – 462038  
(An Institute of National Importance under DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India)

21.06.2023 Inter Office Note

Date:

With reference to the Inter-office note no. रा.डि.सं.म.प्र/सूचना अनुभाग/1 -70/(8-9)/ सूचना / 2023, dated 31.05.2023, the information available with the academic's office is as follows:

S. No.	Information Sought	Information
1.	Kindly provide the provision under which a senior faculty having specialization of a particular discipline be removed from the said discipline and placed in training & Placement Cell	The RTI Act 2005 provides information which is already available and does not have the mandate to reply to question with "Why", "Whether", "How", "If" etc. and for questioning the authority for its decision/action.
2.	Kindly provide the provision under which a senior faculty who has earlier worked as a discipline lead in a particular discipline, be removed from the department can be placed on much lower post of another department called as Training & Placement Cell simply designated officer	

  
सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रदत्त  
information given under RTI Act